न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 288/2022

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

1. भीखाराम पुत्र पीराराम, उम्र 33 वर्ष,
2. अमरूदेवी पत्नी पीराराम, उम्र 61 वर्ष,
3. चुन्नीदेवी पुत्री पीराराम, उम्र 36 वर्ष,
4. रामाराम पुत्र जेठाराम, उम्र 20 वर्ष,
5. चुनीदेवी पत्नी जेठाराम, उम्र 36 वर्ष,
6. लाच्छी कुमारी पुत्री जेठाराम, उम्र 19 वर्ष, कौम जाट, साकिन मेघवालों की ढाणी, ग्राम पं. नेहरों की ढाण तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर

विप्रार्थीगण:

1. कुम्भाराम पुत्र जालाराम, कौम जाट, मेघवालों की ढाणी, ग्राम पं. नेहरों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर।
2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)
उपस्थिति–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक 25.07.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी के राजस्व ग्राम मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 442/211 रकबा 3.0499 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी

खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 442/211 रकबा 3.0499 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत ग्राम मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 442/211 रकबा 3.0499 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 442/211 रकबा 3.0499 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 442/211 रकबा 3.0499 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी के राजस्व ग्राम मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 442/211 रकबा 3.0499 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौक़े पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25.07.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी